

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्ती

बाजली

बनाम

नरेण चौ.

करण संख्या 61/2020

धारा - 188 B.T.A.

क्रम संख्या	दिनांक आज या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/3/22	28/3/22	<p>परावली पेश करी वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी सरगमा 6 लगभग 8 के नोडिस आदिनांक तक पेश नहीं किए गये होवादा फा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वकील को पूर्वदिनांक 1/12/2020 को प्रतिवादी सरगमा 6 लगभग 8 के नोडिस पेश करने के आदेश दिए गये हैं तथा दिनांक 1/2/2020 से आज तक लगभग 9 अवसर नोडिस पेश करने हेतु सिफा भेजे हैं वकील वादी के द्वारा आज दिनांक तक न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नहीं की गई है। शक्यत पूर होता है कि वादी वकील के द्वारा वाद फा का आगे-पुर्गे/अक्रसर करने हेतु हेतु कार्रवाई शुरू नहीं है। विषय वादी का वाद आदेश 9 लिगम 5 सी.पी.सी के तहत स्वार्थि सिमा जाता है। परावली जेसल श्रमात लोक वर्ज वठकर से कम होने पर वास्तविक दफतर है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28/3/22 को स्वले न्यायालय एवं सर जजलास रुनामा गमा</p>	

36
 उप खण्ड अधिकारी
 बस्ती (जिला जयपुर)